



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20122021-232019
CG-DL-E-20122021-232019

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4927]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 20, 2021/अग्रहायण 29, 1943

No. 4927]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 20, 2021/AGRAHAYANA 29, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5318(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 (1992 का 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा वाणिज्य विभाग की दिनांक 13.09.2021 की अधिसूचना का.आ.3707 (अ) के साथ पठित वाणिज्य विभाग की दिनांक 15.05.2021 की अधिसूचना का.आ.1858 (अ.) में संशोधन करती है जो निम्नवत है :-

1. तूअर/पिजन पीज (केजनस काजन) (आईटीसी (एचएस) 07136000) तथा उड़द [एसपीपी विग्रा मूंगो (एल) हेपर की बीन्स] (आईटीसी (एचएस) 07133110) की 'मुक्त' आयात नीति 31.03.2022 तक विस्तारित रहेगी।
2. उपयुक्त दो वस्तुओं के आयात के लिए लदान बिल/लॉरी रसीद 31.03.2022 को या उससे पहले जारी किया जाना चाहिए। ऐसे खेप के आयात को यह देखते हुए निकासी दी जा सकती है कि सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा 30.06.2022 को या उससे पहले 'आउट ऑफ चार्ज' प्राधिकृत किया गया है।

अधिसूचना का प्रभाव : उड़द एवं तूर के लिए आयात नीति अपरिवर्तित रहेगी। आयात नीति 31.03.2022 को या उससे पहले के लदान बिल/लॉरी रसीद के साथ खेप के लिए 'मुक्त' है। आयात की 30.06.2022 को या उससे पहले सीमा शुल्क से निकासी हो जानी चाहिए।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 14/1/2021-ईपी (एग्री-III)]

दिवाकर नाथ मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2021

S.O. 5318(E).—In exercise of powers conferred by section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), read with paragraphs 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the Department of Commerce Notification S.O. 1858 (E) dated 15.05.2021 read with Department of Commerce Notification S.O. 3707(E) dated 13.09.2021 as under:-

1. The "Free" Import Policy of Tur/Pigeon Peas (*Cajanus Cajan*) (ITC(HS) 0713 60 00) and Urad [Beans of the SPP *Vigna Mungo* (L.) Hepper] (ITC(HS) 0713 3110) shall stand extended up to 31.03.2022.
2. For import of the above-mentioned two items, the Bill of Lading/Lorry Receipt should be issued on or before 31.03.2022. The import of such consignments may be cleared given that the 'Out of charge' has been authorised by the Customs Authorities on or before 30.06.2022.

Effect of the Notification: Import policy for Urad and Tur shall remain unchanged. The Import Policy is 'Free' for consignments with Bill of Lading/Lorry Receipt dated on or before 31.03.2022. Imports should be cleared from Customs on or before 30.06.2022.

This issues with the approval of Minister of Commerce and Industry.

[F. No. 14/1/2021-EP (Agri-III)]

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.